



CHHATTISGARH JUDICIAL SERVICE

EXAMINATION (MAINS) 2016

1. Read the following carefully and write judgement after framing necessary issues:

निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक वादपत्र निर्मित करके निर्णय लिखें।

[40]

One trader, Alok Jain gave a loan of Rs. 20,000/- to Sohanlal Gupta on 1.1.2012 at Raipur. In return, Sohanlal Gupta executed a promissory note. Alok Jain is residing in Raipur and Sohanlal Gupta is residing in Bilaspur. When Alok Jain demanded the money by writing a letter on 1.10.2014. Sohanlal Gupta gave a reply assuring Alok Jain that the amount in question will be paid by him within a period of two years as presently he is having financial difficulties. Subsequently, Alok Jain filed a suit on 1.1.2016 for recovering the amount in the Civil Court at Raipur. Sohanlal Gupta took the plea that the Raipur Court has no territorial jurisdiction to decide the suit. Sohanlal Gupta filed his written statement raising the point that the suit is filed after a period of three years from the date of transaction and, therefore, it is time-barred. A plea was also taken in the written statement that he had not received any amount and also he had not signed the promissory note.

आलोक जैन नामक एक व्यापारी ने दिनांक 1.1.2012 को रायपुर में सोहनलाल गुप्ता को 20,000/- रुपये का ऋण दिया। इसके बदले में सोहनलाल गुप्ता ने एक वचन - पत्र (प्रोनोट) निष्पादित किया। आलोक जैन रायपुर में रहता है तथा सोहनलाल गुप्ता बिलासपुर में रहता है। जब आलोक जैन ने दिनांक 1.10.2014 को एक पत्र लिखकर सोहनलाल गुप्ता से उक्त ऋण राशि की मांग की, तो सोहनलाल गुप्ता ने इसका उत्तर देते हुए आलोक जैन को आश्वासन दिया कि उक्त राशि उसे दो वर्ष के भीतर भुगतान कर दी जाएगी क्योंकि अभी वह अर्थिक तंगी में है। तत्पश्चात आलोक जैन ने दिनांक 1.1.2016 को ऋण राशि की वसूली हेतु रायपुर के सिविल न्यायालय में वाद दायर किया। सोहनलाल गुप्ता ने यह दलील (अभिवाक्) प्रस्तुत की, कि रायपुर न्यायालय को इस वाद का विनिश्चित करने को क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त नहीं है। सोहनलाल गुप्ता ने अपना लिखित - कथन फाइल करते हुए इस मुद्रे को भी उठाया कि वाद, संव्यवहार के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् फाइल किया गया है, इसलिए यह काल - अक्रोधित है। अपने लिखित कथन में उसने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि उसने कोई धन राशि प्राप्त नहीं की है और उसने वचन-पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं किये हैं।

2. Read the following carefully and write judgement after framing necessary charges.

निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक आरोप निर्मित करके निर्णय लिखें।

[40]

The prosecution case is that on 11.6.2010 Shri Rajendra Patel, the father of student named Ashok Patel submitted his son's marksheets to use it for securing admission in the Medical College. The total marks shown in the marksheets were more than that which the student would have got even if he had secured cent-percent marks, which raised the suspicion of the Admission Scrutiny Committee, headed by Dr. D.S. Tomar. Moreover, the said marksheets purported to have been issued after revaluation, bore the same date and seal as that of the original marksheets. Dr. D.S. Tomar, therefore, lodged FIR against Shri Rajendra Patel in Shankar Nagar, Police Station, Raipur.





During investigation, necessary seizure was done. After completion of investigation, the police filed chargesheet against Shri Rajendra Patel.

Defence Counsel raised the plea that the accused had not himself forged the marksheets and that he did not know that the marksheets were forged. It was also pleaded on his behalf that the alleged forgery had not actually been acted upon, therefore, he cannot be held guilty of this offence.

अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 11.6.2010 को श्री राजेन्द्र पटेल, जो अशोक पटेल नामक विद्यार्थी के पिता थे, द्वारा अपने पुत्र की कूटरचित मार्कशीट चिकित्सा महाविद्यालय में प्रस्तुत की गई ताकि उनके पुत्र को चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला मिल सके। इस पार्कशीट में दर्शाए गए कुल अंकों का योग उस संख्या से भी अधिक था जो किसी विद्यार्थी को शत-प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर योग-संख्या होती, जिसके कारण डॉ डी० एस० तोमर की अध्यक्षता वाली प्रवेश- जांच समिति को उक्त मार्कशीट कूटरचित होने का संदेह हुआ। इसके अतिरिक्त, उक्त मार्कशीट जो पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् जारी की गई अभिप्रेत थी, पर वही दिनांक तथा सील अंकित थी जैसी की मूल मार्कशीट पर थी। अतः डॉ डी० एस० तोमर ने शंकर नगर पुलिस थाना, रायपुर में श्री राजेन्द्र पटेल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

प्रकरण के अन्वेषण के दौरान आवश्यक जब्ती की गई तथा अन्वेषण पूर्ण होने पश्चात् पुलिस ने श्री राजेन्द्र पटेल के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

बचाव - पक्ष की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई कि अभियुक्त ने स्वयं मार्कशीट की कूटरचना नहीं की थी और न उसे उक्त मार्कशीट कूटरचित होने के बारे में ज्ञात था। उसकी ओर से यह दलील भी प्रस्तुत की गई कि कथित कूटरचना (जालसाजी) वास्तव में कार्यरूप में परिणित नहीं होने के कारण उसे इस अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

3 Translate the following Hindi passage into English.

निम्नलिखित हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए।

[10]

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपराध - रहित समाज की परिकल्पना करना पूर्णतः निरर्थक है क्योंकि जीवन की जटिलताओं, बढ़ते हुए भौतिकवाद और शीघ्रातिशीघ्र धन-सम्पन्न बनने की महत्वाकांक्षा जैसे कारकों के फलस्वरूप जनसाधारण में धीरे-धीरे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और वे निरंतर अपराध के मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। आश्वर्य तो इस बात का है कि कानून का भय भी उन्हें अपने इस कुत्सित मार्ग से डिगा नहीं पाता। हालांकि वास्तविकता यह है कि समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या अत्यंत अल्प होती है जो कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं लेकिन इस नगण्य संख्या के बावजूद ये थोड़े से व्यक्ति ही देश की संपूर्ण कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाते हैं और देश की आपराधिक विधि का ध्यान इन्हीं व्यक्तियों के क्रियाकलापों को नियंत्रित व निवारित करने में लगा रहता है। तथापि ऐसा नहीं है कि यह समस्या भारत वर्ष मात्र में ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हो, बल्कि यह एक विश्वव्यापी समस्या है जो प्रायः सभी देशों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यही कारण है कि प्रायः विश्व के सभी देशों की आपराधिक विधि का प्रमुख उद्देश्य केवल यही रहता है कि कानून का अतिलंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाए और विश्व में सर्वत्र शांति की स्थापना के लिए प्रयास किये जाएँ।

